भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-16

उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटाना

†*16. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया के भाग के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के 10वीं कक्षा के विज्ञान पाठ्यक्रम से चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित विकासवाद के सिद्धांत को हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से इस मूलभूत वैज्ञानिक सिद्धांत को हटाने के कारणों का ब्यौरा क्या है और इस निर्णय के लिए वैज्ञानिक या शैक्षणिक आधार क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह निर्णय लेने से पहले जीव विज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञों और एनसीईआरटी, सीबीएसई और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों के साथ परामर्श किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को विद्यालयीन पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक शिक्षा को कमजोर किए जाने के संबंध में वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का छात्रों में वैज्ञानिक साक्षरता सुनिश्चित करने और आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए इस निर्णय की समीक्षा करने और माध्यमिक स्तर पर विकासवाद के अध्ययन को बहाल करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (च): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

"चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटाना" के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. कलानिधि वीरास्वामी द्वारा दिनांक 01.12.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 16 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (च): विज्ञान में शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया मध्य से माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता है और चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित विकासवाद का सिद्धांत स्कूल विज्ञान पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है।

तथापि, कोविड के साथ-साथ कोविड के बाद की अवधि के दौरान, संसदीय स्थायी समिति सहित बहु-हितधारकों की भागीदारी के आधार पर पाठ्यक्रम भार से संबंधित चिंताओं को उठाया गया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ-साथ कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञों के बहु-स्तरीय सुझावों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के व्यापक हित में विभिन्न चरणों और विषय क्षेत्रों में पाठ्यपुस्तकों का युक्तिकरण किया।

*****